न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम0 के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3813–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–10–2014 पारित व्दारा – आयुक्त,भोपाल संभाग,भोपाल – प्रकरण कमांक 94/2012–13 अपील

1– नथनसिंह पुत्र मिश्रीलाल
2– कमोदसिंह पुत्र मिश्रीलाल
ग्राम गोपालपुर तहसील लटेरी
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– छुट्टा 2– सरदार पुत्रगण जोदा
3– उधम पुत्र चिरोंजा 4– मोहन पुत्र गणेशा
5– बहादुर पुत्र श्यामा 6– धनराज पुत्र मिश्री
सभी निवासीगण ग्राम गोपालपुर तहसील लटेरी
जिला विदिशा मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मनोज गुप्ता)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री रमेश सक्सैना)
(अनावेदक क्र–3 एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 16–11–2015 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त,भोपाल संभाग,भोपाल के प्रकरण कमांक 94/2012–13 अपील में पारित दि. 07–10–2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है आवेदकगण ने नायव तहसीलदार लटेरी जिला विदिशा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग रखी कि ग्राम गोपालपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 188 रकबा 0.152 हैक्टर उनके एंव महिला सरजूवाई पत्नि स्वर्गीय मिश्रीलाल जाट के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। सहकृषक सरजूवाई का देहान्त हो चुका है । दि. 10.5.10–11.5.10 की

मध्य रात्रि में अनावेदकगण व्दारा उक्त क्षेत्रफल पर खरार फेरकर कब्जा कर लिया है एंव आवेदकगण को बेकब्जा कर दिया है कब्जा वापिस लिया जावे। नायव तहसीलदार लटेरी ने प्र. क.03 अ-70/2009-10 पंजीबद्व किया तथा हितबद्व पक्षकारों को सुनकर आदेश दि. 19.11.2010 पारित किया तथा सीमांकन में राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी को पार्टी न बनाये जाने के कारण आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, लटेरी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्र. क. 55/2010-11 अपील में पारित आदेश दि. 20.2.13 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 19.11.10 निरस्त किया गया तथा तहसीलदार लटेरी को कब्जा दिलाने के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील होने पर प्र. क. 94/2012-13 अपील में पारित दि. 07-10-2014 से अपील स्वीकार की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी, लटेरी का आदेश दिनांक 20.2.2013 निरस्त किया गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन के साथ ही लेखी बहस पर विचार किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी, लटेरी के प्रकरण क्रमांक 55/2010-11 अपील एंव आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 94/2012-13 अपील में आये अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम गोपालपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 185/1, 186, 187,188, 189/1, 180/1 का राजस्व निरीक्षक ने

हलका पटवारी के साथ दिनांक 1-5-10 को मौके पर सीमांकन किया है। सीमांकन के समय पड़ौसी कृषक उपस्थित रहे हैं जिनके समक्ष सीमांकन किया गया है तथा सीमांकन के दौरान आवेदकगण की भूमि सर्वे क्रमांक 188 रकबा 0.152 हैक्टर पर किसी भी कृषक का कब्जा होना नहीं पाया गया, और जब जबरन कब्जा किये जाने की स्थिति मौके पर नहीं पाई गई है, अनुविभागीय अधिकारी व्दारा कब्जा हटाने वावत् लिया गया निर्णय आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने इन्हीं कारणों से सही नहीं माना है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आयुक्त, भोपाल संभाग,भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 94/2012-13 अपील में पारित दि. 07-10-2014 में फेर-बदल की गुँजायश नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त,भोपाल संभाग,भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 94/2012-13 अपील में पारित दिनांक 07-10-2014 उचित पाये जाने से निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर